

1

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
Ch. Charan Singh University, Meerut



पत्रांक : सम्बद्धता/९३६१

दिनांक : २९.८.२०१९

सेवा में,
सचिव/प्राचार्य/प्राचार्या
समस्त सम्बद्ध बी०एड० स्ववित्त पोषित महाविद्यालय
चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।

विषय:- निजी क्षेत्र के उच्च शिक्षण संस्थानों में बी०एड० पाठ्यक्रम शिक्षण सत्र २०१९-२०२० के लिए पाठ्यक्रम शुल्क का पुर्ननिर्धारण।


महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-७, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के संलग्न पत्र दिनांक २३ अगस्त २०१९ का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा निजी शिक्षण संस्थाओं में बी०एड० पाठ्यक्रम में वर्तमान सत्र २०१९-२०२० हेतु पूर्व की भांति प्रथम वर्ष हेतु रुपये ५१,२५०/- व द्वितीय वर्ष हेतु रुपये ३०,०००/- का शुल्क का निर्धारण किया गया है।

अतः शासनादेश के आलोक में बी०एड० पाठ्यक्रम हेतु उपरोक्तानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करे।

संलग्नक- यथोपरि

भवदीय,


कुलसचिव

प्रतिलिपि:-

१. सचिव कुलपति को मा० कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
२. प्रभारी वेबसाइट, चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

कुलसचिव

प्रेषक,

कृष्ण चन्द्र राय शर्मा,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- निदेशक,
उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश,
प्रयागराज

2- कुलसचिव,
महात्मा ज्योतिबाफुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय,
बरेली।

उच्च शिक्षा अनुभाग-7

लखनऊ: दिनांक: 23 अगस्त, 2019

विषय:- निजी क्षेत्र के उच्च शिक्षण संस्थानों में बी0एड0 पाठ्यक्रम शिक्षण सत्र 2019-20 के लिए पाठ्यक्रम शुल्क का पुर्ननिर्धारण।


महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि एन0सी0टी0ई0 नियमावली, 2002 के प्रस्तर-6(3) के प्राविधान के अनुरूप उत्तर प्रदेश निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत निर्मित उ0प्र0 निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) (समिति का गठन) नियमावली, 2008 अधिसूचना संख्या-1561/सोलह-1-2008-5(डब्ल्यू-48)/2003 दिनांक 01.05.2008 द्वारा प्रख्यापित की गयी है। उक्त नियमावली में स्थापित प्राविधानों के अनुसार व्यावसायिक एवं प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-1 के कार्यालय आदेश संख्या-2463/2008-सोलह-ए-5 (डब्ल्यू-48)/2003 दिनांक 27 जून, 2008 द्वारा निजी क्षेत्र के बी0एड0 पाठ्यक्रम हेतु गठित समिति की बैठक दिनांक 20-08-2019 को सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में हुई।

2- समिति की उक्त बैठक में शासनादेश संख्या-बी0एड0-09/सत्तर-3-2014-बी0एड0(16)/2011 दिनांक 29 जनवरी, 2015 द्वारा प्रदेश के निजी क्षेत्र के उच्च शिक्षण संस्थानों में बी0एड0 पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित शुल्क प्रथम वर्ष हेतु रू0 51,250/- तथा द्वितीय वर्ष के लिए रू0 30,000/- पाठ्यक्रम शुल्क को पुर्ननिर्धारित किये जाने पर सम्यक विचार किया गया। प्रदेश में बी0एड0 पाठ्यक्रम हेतु इस वर्ष बी0एड0 संयुक्त प्रवेश परीक्षा महात्मा ज्योतिबाफुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली द्वारा आयोजित कराये जाने के फलस्वरूप वर्तमान सत्र हेतु उपलब्ध बी0एड0 पाठ्यक्रम में कुल सीटों के सापेक्ष काउन्सलिंग के उपरान्त भरी गयी सीटें एवं रिक्त रह गयी सीटों की स्थिति पर विचार किया गया। इस तथ्य को छात्र-छात्राओं में बी0एड0 के प्रति अभिरूचि/मांग को कम होने का द्योतक पाते हुए सर्वसम्मति से समिति द्वारा प्रदेश के निजी शिक्षण संस्थाओं में बी0एड0 पाठ्यक्रम के वर्तमान सत्र 2019-20 हेतु शुल्क न बढ़ाये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी है तथा पूर्व की भांति बी0एड0 प्रथम वर्ष हेतु रू0 51,250/- तथा द्वितीय वर्ष हेतु रू0 30,000/- निर्धारित किया गया है।

कृपया उपरोक्तानुसार अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,



(कृष्ण चन्द्र राय शर्मा)
संयुक्त सचिव।


3

संख्या-363(1)/सत्तर-7-2019 तददिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- 2- प्रमुख सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- 3- प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- 4- कुलसचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।
- 5- समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 6- अपर अपर सचिव, उ०प्र० राज्य उच्च शिक्षा परिषद, इन्दिरा भवन, लखनऊ को बेवसाइट पर प्रदर्शन हेतु एवं सभी सम्बन्धितों को ई-मेल के द्वारा प्रेषित करने हेतु।
- 7- समस्त अनुभाग, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन।
- 8- विभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,


(कृष्ण चन्द्र राय शर्मा)
संयुक्त सचिव।

✓